फा. सं. 16(5)/पीएफ-II/2010
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
योजना वित्त - II प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
29th मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यक्षेत्र में विस्तार।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से संबंधित बजट घोषणाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 2015-16 के बजट भाषण में, स्वच्छ पर्यावरण पहलों को शामिल करके राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया था और 2016-17 के बजट भाषण में 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' का नाम बदल कर 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' कर दिया गया था।

2. बजट घोषणाओं के अनुरूप, 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष' का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष' करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष से स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्वच्छ पर्यावरण पहल में अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्वच्छ पर्यावरण पहल और/अथवा उसके अनुसंधान और विकास से संबंधित ***कोई*** परियोजना/स्कीम राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र होगी। ऐसे कार्यों की एक सांकेतिक सूची **अनुबंध** में दी गई है।

5. यह व्यय विभाग के दिनांक 18.04.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन है।

6. इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

29.3.17

(चितरंजन दाश)
निदेशक (पीएफ- II)
फोन: 23093109
[chittaranjan.dash@nic.in]

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव;
सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार;

प्रतिलिपि:
1. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री अशोक टंडन, अपर सचिव);
2. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव);
3. सलाहकार (पीएएमडी) (श्री प्रवीण महतो), नीति आयोग।

अनुबंध

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजनाओं की सांकेतिक सूची

i. एकीकृत समुदाय ऊर्जा समाधान, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी तथा सौर, पवन, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा के साथ नवीकरणीय अनुप्रयोगों के विकास एवं प्रदर्शन में सहयोग देने वाली परियोजनाएं;

ii. ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के आस-पास के भौगोलिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक वहनीय दृष्टिकोण के साथ ऊर्जा उत्पादन में मौजूदा प्रौद्योगिकी का स्थान लेने वाली परियोजनाएं;

iii. नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा: इसमें उन्नत सौर प्रौद्योगिकियां, भूतापीय ऊर्जा, सेलुलोसिक बॉयो-मास/शैवाल/किसी अपशिष्ट पदार्थ से जैव-ईंधन, अपतटीय समुद्री प्रौद्योगिकी (पवन, लहर और ज्वारीय) तथा तटवर्ती पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, हाइड्रोजन और फ्यूल सैल्स शामिल होंगे;

iv. स्वच्छ जीवाश्म ऊर्जा: इसमें कोयला गैसीकरण, शेल तेल/गैस, लिग्नाइट/सीबीएम, आईजीसीसी विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत टरबाइन एवं प्रौद्योगिकी, गैर-परम्परागत संसाधनों से अधिकाधिक रिकवरी तथा उन्नत जीवाश्म ऊर्जा अनुसंधान, कार्बन अभिग्रहण और पृथक्करण तथा कार्बन अभिग्रहण और शोधन शामिल होगा।

v. मूलभूत ऊर्जा विज्ञान: इसमें हाइब्रिड और प्लग-इन विद्युत वाहनों के लिए ऊर्जा भंडारण, सॉलिड स्टेट लाइटिंग, उत्प्रेरण, जैविक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान, उच्च ऊर्जा और नाभिकीय भैतिकी आदि शामिल होंगे।

vi. परमाणु ऊर्जा विभाग: परमाणु विद्युत का उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य।

vii. शहरी विकास मंत्रालय: हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल अभिनव तकनीकों का उपयोग करने वाली शहरी विकास परियोजनाएं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन के घटक।

viii. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय: मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के अनुकूल शुरू किए गए कार्य और अनुसंधान एवं विकास।

ix. अन्य विभागों द्वारा संचालित स्कीमें जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती हों/स्वच्छ पर्यावरणीय परियोजनाएं तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य।

x. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना में अभिनिर्धारित शमन परियोजनाएं और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नालिज फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत मौजूदा प्रौद्योगिकियों के स्थान पर पर्यावरण के अधिक अनुकूल प्रद्योगिकियां लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास से संबंधित परियोजनाएं।

xi. नवीकरणीय स्रोतों के लिए विद्युत शून्यीकरण अवसंरचना के सृजन से संबंधित परियोजनाएं।

xii. औद्योगिक समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों से संबंधित परियोजनाएं।

xiii. राष्ट्रीय नदी संरक्षण और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अनुसरण में शुरू की गई परियोजनाएं।

xiv. शहरी क्षेत्रों के लिए हरित भवन नर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी के संबंध में अभिनव परियोजनाएं और अनुसंधान।

xv. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के अभिनव तौर-तरीकों के लिए परियोजनाएं।